भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3313
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर और शक्ति सदन

3313. **श्री अतुल गर्गः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संकटग्रस्त महिलाओं को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए सभी स्वीकृत वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को कार्यशील बनाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार का हिंसा से प्रभावित महिलाओं की बेहतर ढंग से सहायता करने के लिए उक्त केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों/सेवाओं को किस प्रकार बेहतर बनाने का प्रस्ताव है;
(ग) सहायता की जरूरत वाली महिलाओं के बीच ओएससी और शक्ति सदनों की उपलब्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार संकटग्रस्त महिलाओं को एकीकृत सहायता/पुनर्वास प्रदान करने हेतु उक्त केंद्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस प्रकार करती है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से **(घ)**: वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता

है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन है। इसके अलावा, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

नए अनुमोदित ओएससी के शीघ्र प्रचालन के लिए अंतरिम उपाय के रूप में किराए के परिसर में ओएससी शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर संस्थाओं की पहुंच, दृश्यता और प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंद महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर और शक्ति सदन की सुविधा मिले। वन स्टॉप सेंटरों के संबंध में साइनेज, स्टैंडी, सूचना बोर्ड और वाहन ब्रांडिंग के टेम्पलेट्स को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इसी प्रकार, जरूरतमंद महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112, 24x7x365 टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, ताकि ओएससी और शक्ति सदन से सूचना, सहायता और सहयोग मिल सके।

नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन में योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया था।

*****